पंचायत निगरानी संख्या : 136/2024
उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम सुखलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 136/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/326

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी	बनाम	1. सुखलाल पुत्र मुलजी जाति पुरोहित निवासी सिन्दरली 2. सरपंच ग्राम पंचायत सिंदरली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 135 दिनांक 29.10.74 क्षेत्रफल 10112 वर्गफीट को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से गणपतलाल चौधरी।

–:निर्णय:–

दिनांक: 15.04.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. देसूरी की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत **ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 135 दिनांक 29.10.74 क्षेत्रफल 10112 वर्गफीट** जारी किया गया जिसको निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।

1. प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को दिनांक 29.10.1974 को रसीद संख्या 70 के द्वारा पट्टा नम्बर 135 मिसल संख्या 23/72–73 जारी किया गया जो क्षेत्रफल 10112 वर्गफीट का निम्न पडौसियों के बीच जारी किया गया:– पूर्व में शिवनाथ, पश्चिम में :– रास्ता, उत्तर में:– रास्ता, दक्षिण में:– गमजी/केसाजी।
2. अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 को सरपंच ग्राम पंचायत सिंदरली के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा संख्या 135 दिनांक 29.10.1974 क्षेत्रफल 10112 वर्गफीट का जारी किया गया जिसमें निम्न अनियमितता बरती गई:–

क. अप्रार्थी संख्या दो श्री नाथुसिंह ने अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा संख्या 135 दिनांक 29.10.1974 क्षेत्रफल 10112 वर्गफीट का जारी किया गया जिसमें दोनो पृष्ठों पर सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव पाया गया जो कि नियम विरुद्ध होते हुए पट्टा खारिज योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 136/2024
उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम सुखलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

ख. पंचायत रिकॉर्ड के मूल पट्टे में अंकित राशि अंको 21 के स्थान पर 150 किये गये जबकि शब्दो में इक्किस रुपये अंकित है एवं रसीद संख्या एवं दिनांक में कांट–छांट की गई है जो पंचायती राज अधिनियम 266 के विरुद्ध है अतः पट्टा खारिज योग्य है।

ग. पंचायत द्वारा मूल पट्टे मिसाल संख्या 118/71–72 अंकित था जिसमे कांट–छांट कर 23/72–73 किया गया जो संदेहस्पद है। अतः पट्टा खारिज योग्य है।

घ. पट्टे का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपजिलाधीश बाली की आज्ञा संख्या 3981 दिनांक 08.11.1971 दर्शायी गई है जबकि पट्टे की मिसाल दिनांक 30.07.1972 को दर्ज की गई है उक्त कृत्य से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 02 दो द्वारा नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। अतः पट्टा निरस्त योग्य है

3. उक्त पट्टे की मिसल में निम्न अनियमितताए पाई गई जो पट्टे को खारिज योग्य बनाती है:–

   क. मिसल में मिसाल संख्या 61/72–73 अंकित है जबकि पट्टे की मूल प्रति में मिसल संख्या 23/72–73 अंकित है जो कि संदेहास्पद एवं नियम के विरुद्ध होने के कारण पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है।

   ख. पट्टे की मूल प्रति में फैसल दिनांक 29.10.1974 दर्शायी गई है जबकि मिसल का अवलोकन किये जाने पर फैसल दिनांक 04.09.1972 दर्शायी गई है जो पट्टे को निरस्त योग्य है।

   ग. मिसल में सलंग्न नक्शा प्रपत्र पर अप्रार्थी संख्या एक एवं दो एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षरों का अभाव पाया गया जो कि नियम विरुद्ध है।

   घ. निरीक्षण प्रपत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव पाया गया एवं निरीक्षण रिपोर्ट में पट्टे का नाप 9450 वर्गफीट बताया गया जबकि जारी पट्टे में 10112 वर्गफीट अंकित है जो संदेहस्पद है।

   ड. आपत्ति नोटिस नियम 260 जो किया गया उसमें क्रमांक, दिनांक, पंचायत की मोहर , सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव व चस्पा किस स्थान पर किया गया स्थल का नाम अंकित नहीं है। अतः पट्टा निरस्त योग्य है।

4. अंतिम निर्णय हेतु मिसल दिनांक 04.09.1972 बैठक में पेश की गई एवं अंतिम निर्णय लिखा गया जिसमें सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव पाया गया।

5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिन्दरली द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि सुखदेव पुत्र श्री मुलसिंह पुरोहित की जन्म तिथि 10.07.1964 दर्शायी गई है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 सुखलाल को जारी पट्टा नम्बर 135 वर्ष 1972–73 में जारी किया गया। स्कुल प्रमाण पत्र में दर्शित जन्म तारीख का अवलोकन किये जाने पर अप्रार्थी संख्या एक सुखलाल की उम्र पट्टा जारी किये

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 136/2024
उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम सुखलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

जाने के दरम्यान 08 वर्ष की होना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 नाबालिग होने पर भी अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया। अतः पट्टा निरस्त योग्य है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 135 दिनांक 29.10.1974 क्षेत्रफल 10112 वर्गफीट की वैधता, शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान/वकुलाय को सुचित किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से काबिल अधिवक्ता ने निगरानी याचिका का निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया:–

1. निगरानी का पद संख्या एक सरासर गलत व झुठा होने से अस्वीकार है ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के नाम दिनांक 29.10.1974 को कोई रसीद संख्या 70 द्वारा पट्टा नम्बर 135 जरिये मिसल संख्या 23/72–73 के जारी नहीं किया गया है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम मिसल संख्या 61/72–73 दायरा दिनांक 30.07.1972 मिसल फैसल दिनांक 04.09.1972 द्वारा पट्टा नम्बर 135/72–73 दिनांक 04.09.1972 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में उपलब्ध मिसल व उस मिसल की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी असल पट्टे में प्रार्थी द्वारा कोई विवरण दर्ज नहीं है
2. निगरानी का पद संख्या दो सरासर गलत व झुठा होने से अस्वीकार है
   क. उप पद संख्या क में वर्णित विवरण भी गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक के नाम सरपंच ग्राम पंचायत सिन्दरली ने नियम 266 के तहत पट्टा संख्या 135 दिनांक 29.10.1974 को 10112 वर्गफीट का जारी नही कर पट्टा संख्या 135 दिनांक 04.09.1972 को जारी किया गया हैं। जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को असल दिया गया है उसमें तत्कालीन सरपंच के सील सहित हस्ताक्षर किये हुए है। इस प्रकार प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल खारिज है।
   ख. उप पद संख्या ख में वर्णित विवरण भी गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक को सन 1972 में जो पट्टा जारी किया गया उसमें किसी प्रकार की कोई कांट–छांट नहीं है। सन 1972 में पट्टा जारी होने के बाद प्रार्थी द्वारा सन 2017 में पट्टे के विरुद्ध निगरानी पेश की गई है जिसमें अप्रार्थी संख्या एक को नुकसान कारित की नियत से पंचायत मिसल के साथ पट्टे की दिवितय प्रति में किसी ने जानबुझकर कोई कांट–छांट

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

की होगी तो उसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या एक को नहीं है एवं मिसल में व अप्रार्थी संख्या एक के पास उपलब्ध असल पट्टे में कोई कांट–छांट नहीं होने से एवं अप्रार्थी संख्या दो के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 16.06.1981 के अनुसार उपरोक्त पट्टा शुदा भूमि के पश्चिम में एक दरवाजा खोले जाने की स्वीकृति का पृष्ठांकन किये जाने से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक को नुकसान कारित करने की नियत से पंचायत पत्रावली के साथ पट्टे की द्वितिय प्रति में कोई कांट–छांट की हैं।

ग. उप पद संख्या ग में वर्णित विवरण भी गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक के पास जो मूल पट्टा उपलब्ध है। उसमें मिलस संख्या 61/72–73 अंकित जिसमें कोई कांट–छांट नहीं है तथा ग्राम पंचायत की पट्टा जारी करने की मिसल में जो मिसल संख्या दर्ज है, वही मिसल संख्या अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी असल पट्टे में दर्ज है जिसमे कोई कांट–छांट नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 के नाम अप्रार्थी संख्या दो तत्कालीन ग्राम पंचायत के बोर्ड द्वारा जिस मिसल के जरिये असल पट्टा दिया गया है वह मिसल व पट्टा दोनो एक हैं जिसमे कोई कांट–छांट नहीं है। बाद में पंचायत की मिसल के साथ में लगे हुए पट्टे में जानबुझकर कांट–छांट कर प्रार्थी को गलत तवज्जो दिलाकर एवं अप्रार्थी संख्या एक के विरुद्ध एक षडयंत्र के तहत प्रार्थी को झूठी शिकायत कर उपरोक्त निगरानी तैयार करवाकर पेश करवाई गई है जो ग्राम पंचायत की मिसल व उस मिसल के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी किये गये असल पट्टे को देखने मात्र से स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी किया गया पट्टा कानूनन सही जारी किया गया है।

घ. उप पद संख्या घ में वर्णित विवरण भी गलत होने से अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या एक के पास उपलब्ध असल पट्टा में उप जिलाधीश बाली की आज्ञा का कोई विवरण दर्ज नहीं है। इससे भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की पत्रावली के साथ पट्टे की द्वितिय प्रति में किसी ने गलत इन्द्राज किया है। अप्रार्थी संख्या एक के पास उपलब्ध असल पट्टा व उस पट्टे की ग्राम पंचायत में उपलब्ध मिसल में कोई भिन्नता नहीं होने से अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी पट्टा संख्या 135 सही जारी किया गया है और प्रार्थी की निगरानी इसी आधार पर खारिज होने योग्य है।

3. निगरानी का पद संख्या 03 क. ख. घ. ड. सरासर गलत व झुठा होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या दो के कार्यालय में उपलब्ध मिसल संख्या 61/72–73 सही है। उसके साथ पट्टे की द्वितिय प्रति लगी हुई है वह 1972 के बाद किसी ने जानबुझकर पट्टे में कांट–छांट कर मिसल संख्या 23/72–73 अंकित किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी असल पट्टे में वही मिसल संख्या 61/72–73 दर्ज है। इसी के साथ पट्टे की मूल प्रति में दिनांक 04.09.1972 को मिसल के फैसल के आधार पर पट्टा जारी किया जाना वर्णित किया है। जबकि मिसल के साथ द्वितिय प्रति में किसी ने

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 136/2024
उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम सुखलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

कांट–छांट कर तारीख 29.10.1974 लिखा है। तो वह स्पष्ट रुप से बाद की तारीखों में रिकॉर्ड में हेराफेरी करके किया है। चूंकि ग्राम पंचायत की मिसाल व अप्रार्थी संख्या 01 के पास उपलब्ध असल पट्टा में कोई भिन्नता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि द्वितिय प्रति में किसी ने हेराफेरी की है और उसके आधार पर प्रार्थी ने बिना जांच के निगरानी पेश की है जो काबिल खारिज योग्य है।

4. निगरानी का पद संख्या 05 सरासर गलत व झुठा होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी पट्टा नियम 266 में जारी किया गया है जो सही जारी किया गया है प्रार्थी की जन्म तारीख बाबत प्राप्त किया गया रिकॉर्ड गलत होने से अस्वीकार है।

हस्तगत निगरानी के संबंध में ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत सिंदरली द्वारा जरिए पत्रांक/2019–20/152 दिनांक 17.07.2019 तथा क्रमांक/2025–26/20 दिनांक 01.04.2025 से अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में मिसल संख्या 23/72–73 तथा प्रस्ताव रजिस्टर 30.04.1972 एवं पट्टा बुक वर्ष 1972–73 उपलब्ध नहीं है तथा मिसल संख्या 61/72–73 एवं पट्टा बुक 1973–74 न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई।

हस्तगत निगरानी पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण तथ्यों के विश्लेषण उपरांत यह तथ्य सामने आता है कि हस्तगत निगरानी एक ही भूखण्ड के संबंध में जारी दो पट्टो से संबंधित है एवं दोनों पट्टे एक ही व्यक्ति अर्थात अप्रार्थी संख्या एक श्री सुखलाल के पक्ष में जारी किए गए है:–

1. प्रथमतः, वह पट्टा संख्या 135 (मिसल संख्या 23/72–73) दिनांक 29.10.1974 बमाप 10112 वर्गफीट जिसे प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. देसूरी द्वारा हस्तगत निगरानी में चुनौति दी गई है एवं जिससे संबंधित मिसल संख्या 23/72–73 पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक श्री सुखलाल ने जवाबपत्र में उक्त पट्टे को अपने से संबंधित नहीं बताया है।
2. द्वितियतः, वह पट्टा संख्या 135 दिनांक 04.09.1972 जिस पर कि मिसल संख्या 61/72–73 अंकित है, बमाप 10112 वर्गफीट तथा जिसकी प्रति जवाब के सलंग्न एवं मूल प्रति अवलोकनार्थ बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रस्तुत करते हुए इसे अपने से संबंधित एवं वैध पट्टा करार दिया है। उक्त पट्टे के संबंध में प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. देसूरी द्वारा निगरानी में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

उपलब्ध रिकॉर्ड से तस्दीक उपरांत जैर निगरानी पट्टा संख्या 135 दिनांक 29.10.1974, बमाप 10112 वर्गफीट, जिस पर कि मिसल संख्या 23/72–73 अंकित है, के संबंध में निगरानीपत्र के पैरा संख्या 2 (क) एवं 2(ग) प्रमाणित सिद्ध होते है। अर्थात् मूल पट्टे की प्रति पर सरपंच

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 136/2024
उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम सुखलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

के हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं पट्टे पर अंकित मिसल संख्या ,संकल्प दिनांक, रसीद संख्या आदि में कांट छांट एवं ओवरराईटिंग दृष्टिगोचर होती है। **पट्टा जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी/लोकसेवक के हस्ताक्षर के अभाव में उक्त पट्टा 'प्रारम्भतःशून्य(ab initio void) एवं स्वतः ही निरस्त योग्य है।**

जहां तक अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत पट्टे (पट्टा संख्या 135 दिनांक 04.09.1972, मिसल संख्या 61/72–73) का प्रश्न है, तो उस पर अंकित मिसल संख्या 61/72–73 का मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाया गया है (यद्यपि मूल पट्टा बुक वर्ष 1972–73 पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने का कथन कर उपलब्ध नहीं करवाई गई है)। **चूंकि विचाराधीन प्रकरण में एक ही भूखण्ड के संबंध में एक ही व्यक्ति के नाम से दो अलग–अलग तिथियों में समान माप के दो पट्टे जारी हुए है, अतः अप्रार्थी श्री सुखलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त पट्टा संख्या 135 दिनांक 04.09.1972 का वैधानिक परीक्षण आवश्यक है।** अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 135(मिसल संख्या 61/72–73) दिनांक 04.09.1972 के परिप्रेक्ष्य में मूल मिसल संख्या 61/72–73 के अवलोकन उपरान्त Face of the record से ही निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते है:–

1. मिसल में सलंग्न नक्शा प्रपत्र पर आवेदक, पदेन सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
2. नियम 260 के अन्तर्गत जारी आपत्ति ईश्तिहार पर न तो सरपंच अथवा पदेन सचिव के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित है और न ही क्रमांक एवं दिनांक भी अंकित है। दिनांक के अभाव में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु एक माह की अवधि की गणना किस आधार पर की गई, यह स्पष्ट नहीं है। अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर के अभाव में उक्त आपत्ति ईश्तिहार वैधानिक रुप से शून्य है।
3. मिसल के सलंग्न निरीक्षण प्रपत्र के अवलोकन से ज़ाहिर होता है कि निरीक्षण प्रपत्र को तस्दीक करने हेतु सरपंच के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। महत्वपूर्ण है कि निरीक्षण प्रपत्र में पट्टे से संबंधित भूखण्ड का माप 9450 वर्गफीट ही बताया गया है, किन्तु पट्टा 10112 वर्गफीट का जारी किया गया। निरीक्षण प्रपत्र में पाए गए माप से अधिक माप का पट्टा क्यों एवं किस आधार पर जारी किया गया, यह अप्रार्थी संख्या एक स्पष्ट करने में असफल रहे है।
4. अन्तिम आदेशिका दिनांक 04.09.1972, जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में उक्त पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया, उस आदेश पर सरपंच अथवा पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के अभाव में ऐसा कोई भी निर्णय वैधानिक रुप से शून्य ही माना जाएगा। अप्रार्थी श्री सुखलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त पट्टे पर प्रस्ताव संकल्प संख्या 2 दिनांक 04.09.1972 अंकित है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन बैठक कार्यवाही प्रस्ताव रजिस्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, जो कि सम्पूर्ण कार्यवाही को संदेह के दायरे में लाता है।

5. अप्रार्थी श्री सुखलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त पट्टा संख्या 135 (मिसल संख्या 61/72–73) में शूल्क राशि जरिए रसीद संख्या 70 दिनांक 02.10.1972 को जमा होने पर विक्रय विलेख क्रेता के पक्ष में जारी होने का अंकन है। किन्तु उक्त पट्टा जारी होने की दिनांक 04.09.1972 अंकित है। अर्थात पट्टा शुल्क जमा होने से लगभग एक माह पूर्व ही पट्टा जारी कर दिया जाना एवं पट्टा जारी हो जाने के बाद बेकडेट में पट्टे पर रसीद संख्या का अंकन किया जाना प्रतीत होता है। जबकि अन्तिम आदेशिका दिनांक 04.09.1972 में शुल्क या शुकराना लेकर विक्रय विलेख जारी करने का लिखा गया है।

6. निगरानी के पैरा संख्या 05 में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक की आयु के संबंध में शिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार अप्रार्थी की जन्मतिथि 10.07.1964 होना एवं इस आधार पर पट्टा जारी होने के वक्त अप्रार्थी के नाबालिग होने का कथन किया गया है। यद्यपि निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथन की पुष्टि में निगरानी के साथ ऐसा कोई प्रमाणपत्र संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनके इस कथन की तस्दीक की जा सके। **किन्तु महत्वपूर्ण है कि दिनांक 05.05.2025 के जवाबपत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में अप्रार्थी संख्या एक स्वय श्री सुखलाल ने अपनी वर्तमान आयु 61 वर्ष होना अंकित किया है अर्थात उक्त पट्टा जारी होने की दिनांक 04.09.1972 को पट्टाधारी की आयु 8 वर्ष रही होगी। अर्थात उक्त पट्टा नाबालिग को जारी किया जाना स्वयं पट्टाधारी के शपथपत्र से ही सिद्ध हो जाता है।**

उपरोक्त वजुहातों के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक श्री सुखलाल द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 135 दिनांक 04.09.1972 (मिसल संख्या 61/72–73) की वैधानिकता भी सिद्ध नहीं होती है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. देसूरी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम स्वीकार की जाती है तथा ज़ैर निगरानी भूखण्ड के संबंध में अप्रार्थी श्री सुखलाल पुत्र मूलजी पुरोहित निवासी सिन्दरली के पक्ष में जारी दोनो पट्टों अर्थात् ज़ैर निगरानी पट्टा संख्या 135 (मिसल संख्या 23/72–73) बमाप 10,112 वर्गफीट दिनांक 29.10.1974 एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 135 (मिसल संख्या 61/72–73 बमाप 10,112 वर्गफीट दिनांक 04.09.1972 अवैधानिक पाये जाने से निरस्त किए जाते है।

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. देसूरी को निर्देश दिए जाते है कि पट्टाधारी श्री सुखलाल से मूल पट्टा (पट्टा संख्या 135 दिनांक 04.09.1972 मिसल संख्या 61/72–73) प्राप्त कर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 136/2024
उनवान : विकास अधिकारी देसूरी बनाम सुखलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

लाल स्याही से 'निरस्त' अंकन कर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में जमा करावे। इसी प्रकार जैर निगरानी पट्टा संख्या 135 (मिसल संख्या 23/72–73) दिनांक 29.10.1974, जिसकी मूल प्रति पूर्व से ही ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध है, पर भी लाल स्याही से 'निरस्त' का अंकन करें।

साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत सिन्दरली को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है, कि निगरानी से संबंधित भूखण्ड का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 के प्रावधानानुसार निलामी अथवा विद्यमान बाज़ार दर जैसे विकल्पों के माध्यम से न्यायपूर्ण निस्तारण करें ताकि ग्राम पंचायत की राजस्व आय में अधिकतम प्राप्ति हो सके। अप्रार्थी संख्या एक ऐसी निलामी कार्यवाही में भाग लेने हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, देसूरी एवं ग्राम पंचायत सिन्दरली को पालनार्थ प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner